8-8-21

पत्रावली प्रस्तुत। वकील वादी हजूर न्यायालय के पुकारे जाने पर ना तो वकील वादीगण ना ही वादीगण न्यायालय के समक्ष पेश हुए। अतः हस्तगत प्रकरण अदम हाजिरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर होकर नम्बर से कम हो।

(पवन कुमार)
उपखण्ड अधिकारी

Signature Not Verified

Digitally signed by Pawan Kumar
Date: 2021.08.08 16:32:23 IST
Reason: SelfAttested